पत्रांक :– ग्रा०वि०–08–25 / 2016 / 2188 / दिनांक 31.05.18 /

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

विषय :– बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के लाभुकों के चयन के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती वर्ष के अवसर पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में 14 अप्रैल 2016 को विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने हेतु बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वैसे विधवा महिलाओं को आवास प्रदान करना है, जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर हैं एवं वे अपनी आवासीय परिस्थितियों में सुधार करने में असमर्थ है।

2. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना में विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आँकड़ों के आधार पर लाभुकों के चयन हेतु प्रथम चरण में निम्नरूपेण प्राथमिकता दी गई है :–

I) 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आवासविहीन विधवा मुखिया वाला परिवार।

II) 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की विधवा मुखिया वाला परिवार, जिनका एक कमरे का कच्चा आवास एवं मासिक आय ₹ 5000/– से कम हो।

3. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अन्तर्गत आवास निर्माण की इकाई पहाड़ी/आई.ए.पी. (IAP) जिलों में ₹ 1.30 लाख प्रति इकाई तथा मैदानी/नन आई.ए.पी. (Non-IAP) जिले में ₹ 1.20 प्रति इकाई निर्धारित है। अभिसरण के माध्यम से व्यक्तिगत शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, विद्युत सम्पर्क, पेयजलापूर्ति इत्यादि की सुविधाएँ दिया जाना है।

4. व्यवहार में देखा जा रहा है कि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आँकड़ों में कई विधवा मुखिया वाले परिवार का नाम नहीं है। संभवतः उक्त जनगणना के समय परिवार का मुखिया कोई पुरूष सदस्य हो लेकिन असामयिक मृत्यु के कारण परिवार की जिम्मेवारी विधवा महिला पर आ गयी है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उक्त परिवार आवास निर्माण कराने में असमर्थ है।

5. इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, भूकंप/भूस्खलन, ओला–वृष्टि, आगजनी, हाथी के प्रकोप से प्रभावित परिवार एवं एकल/परित्यक्त महिलाएं इत्यादि, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण टूटे हुए आवास का पुनः निर्माण कराने में असमर्थ हैं, जिन्हें तत्काल आवासीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।

Upload in website

6. उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति के आलोक में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अन्तर्गत लाभुकों के चयन के संबंध में निर्णय लिया गया कि :–

I) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत जिला द्वारा सत्यापित 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आवासविहीन या एक कमरे तक के कच्चे मकान में रहने वाले विधवा मुखिया वाला परिवार, जिनका मासिक आय ₹ 5000/– से कम हो, वैसे परिवारों का नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 में नहीं हो तो भी उन परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाय।

II) बाढ़, भूकंप/भूस्खलन, ओला–वृष्टि, आगजनी, हाथी के प्रकोप से प्रभावित परिवार एवं एकल/परित्यक्त महिलाएँ जो स्वयं आवास बनाने में समर्थ नहीं हो वैसे परिवारों/महिलाओं को भी इस योजना के तहत आवास स्वीकृत किया जाय। इन लाभुकों की स्वीकृति उपायुक्त द्वारा संतुष्टि के आधार पर दी जायेगी।

III) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लाभुकों का आवास स्वीकृत करने से पूर्व उपायुक्त संतुष्ट हो लेंगें कि इन्हें इसके लिए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग द्वारा पूर्ण मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है।

IV) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लक्ष्य का अधिकतम 25 प्रतिशत तक ही प्राकृतिक आपदाग्रस्त मामलों से संबंधित लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जायेगी।

7. कण्डिका '6' में अंकित संशोधनो पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक–1869, दिनांक–17.05.2018 के क्रम में दिनांक–29.05.2018 की बैठक के मद संख्या–10 में दी गयी है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्षों को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

31/5/18

(अविनाश कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –2188 /ग्रा०वि०, 08–25/2016 राँची, दिनांक 31-05-18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/5/18

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –2188 /ग्रा०वि०, 08–25/2016 राँची, दिनांक 31.05.18

प्रतिलिपि :– माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/5/18

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –2188 /ग्रा०वि०, 08–25/2016 राँची, दिनांक 31-05-18

प्रतिलिपि :– सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करके ई–गजट के रूप में ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) अन्तर्गत प्रशाखा–10 को सूचना उपलब्ध करायें।

31/5/18.

सरकार के प्रधान सचिव।